



गुलाब सिंह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल

जी.एस. लो कॉलेज के सामने, फैफूद रोड- ओरिया (उ.प.)

पत्रांक : SGSPS/RCD/2024

दिनांक 14/01/2024

Declaration Letter

Whoever it may concern this is to declare that Shri Gulab Singh Hospital is a sub body of Swargiya Gulab Singh Shiksha Prasar Samiti

All regulation and concerns related to registration are directed by its parent body Swargiya Gulab Singh Shiksha Prasar Samiti

Swargiya Gulab Singh Shiksha Prasar Samiti

[Signature]
14/01/24



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

District Registering Authority
AURAIYA

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION

This is to certify that **SHRI GULAB SINGH HOSPITAL** located at **PHAPHUND ROAD AURAIYA** owned by **VISHNATH SINGH** has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a **Hospital, MALTISPECIALTY** under **Allopathy** System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

DRA: Auraiya
Designation of the Issuing Authority

Place: Auraiya

Date of Issue: 08/05/2023

Terms and Conditions of Registration*

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

*Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.

<http://cliniclestablishments.gov.in/AuthentifiedPages/DRA/Provisional.aspx?StatusId=0&F1=20230508111111&DistrictId=0&JGcwNk70%3d; Date:08/05/2023>

रघु मुख्य पिकिता अधिकारी
/ नोडल अधिकारी
आ॒र॑या

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आ॒र॑या

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01825/2020-2021

दिनांक 05/01/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/AUR/13654/2020-2021

पत्रावली संख्या: K-35294

दिनांक: 2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति, बरगुपुर, औरेया 206122, औरम्या, 206122 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1011/2005-06 दिनांक-01/12/2005 को दिनांक-01/12/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By

(akhilesh chandra MAURYA)

7303EA10B1918A05BDAE7DA4554C1288120C4FA2

Date: 05/01/2021 4:26:11 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-05/01/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।

भारतीय रिपब्लिक

दस
रुपये

₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 580460

यह जनरल स्टाम्प पेपर

जिला.....फॉइल संख्या..... 35284



वरिष्ठ सहायक

कागजलय उपनिवेशक कर्मी सोसाइटीज ला. विद्या

प. नृ. डॉल कानपुर

१२/१२/७८

-::: संशोधित स्मृति पत्र -::-

संस्था का नाम

: स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति

संस्था का पता

: बरमूपुर, औरेया

संस्था का कार्यक्षेत्र

: समस्त उ०प्र० व आवश्यकता पड़ने पर सम्पूर्ण भारतवर्ष (आल इण्डिया)

संस्था के उद्देश्य

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में छात्र एवं कन्या नर्सरी प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, मदरसा आदि खोलना एवं उनका संचालन करना।

2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई-कढ़ाई, दरी-कालीन, हेन्डीक्राफ्ट, बढ़ीगीरी, पापड़ बनाना, साबुन बनाना, लोहे के गेट, जाली, शटर बनाना, टी०वी० ट्रेनिंग, घड़ी, साज, रेडीमेड गारमेन्ट्स, दोना-पत्तल बनाना, बैग-अटैची निर्माण, पेटिंग, टाइपिंग एवं कलात्मक, रचनात्मक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं उनका संचालन करना।

3. नर्स डिप्लोमा कोर्स, फार्मासिस्ट, आई.टी.आई., कम्प्यूटर कालेज, पालीटेक्निक कालेज, बहुउद्देशीय तकनीकी कालेजों की स्थापना करना और उनका विधिवत् संचालन करना।

अनाथालय, वृद्धा आश्रम, नारी निकेतन, महिला अल्प आवास गृह को खोलना एवं उनका संचालन करना।

संस्था के कार्यक्षेत्र में पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला, निःशुल्क चिकित्सालय, धर्मार्थ चिकित्सालय, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, छात्रावासों को खोलना एवं संस्था परामर्श केन्द्रों को खोलना एवं उनका संचालन करना।

संस्था के कार्यक्षेत्र में विकलांगों को विविध प्रकार के ग्रामोद्योगी एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कराना उनको कृत्रिम अंग उपकरण दिलाना तथा मूक, बधिर स्कूलों का संचालन करना।

7. समय-समय पर सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेकर नेत्र शिविरों, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रों, टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों, कुष्ठ रोगी सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

सत्य-प्रतिलिपि

Q.

दरिखात् सहायक
उपनिषद्यक्षक फार्मसी सौसाइटीज तथा चिट० स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति

फ्रॅक्टर स्पॉटर बालनगर

गुलाब सिंह

अध्यक्ष

स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति

बरमूपुर-औरेया

स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर, औरेया

अध्यक्ष

8. संस्था के कार्यक्षेत्र में नागरिकों में स्वाभिमान राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, आपसी भाई-चारे की भावना पैदा करना।
9. पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, टीकाकरण, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, महिला वित्त विकास निगम, उ०प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम एवं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से सभी योजनायें संचालित करना।
11. संस्था के कार्यक्षेत्र में कपाट, ड्वाकरा, सूडा सेल, ढूड़ा, नोराड, द्राइसेम, डी.आर.डी.ए., नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, स्वतः रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यक्रमों का संचालन करना।
12. संस्था के कार्यक्षेत्र में उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, ग्रामीण कुटीर उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केन्द्रों आदि के समस्त प्रकार के ग्रामोद्योगों के शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आयोग से या बैंकों से ऋण अनुदान प्राप्त करके या मनीमार्जन स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना, लंगाना, चलाना, ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री करना, प्राप्त आय को उद्देश्यों की पूर्ति एवं चेरीटेबिल कार्यों पर व्यय करना।
13. गरीब लड़के-लड़कियों का सामूहिक विवाह समारोह कराना, विधवा विवाह, पुर्णविवाह आदि करवाना।
सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, दैवीय आपदाओं, दुर्घटनाओं, बाढ़, अग्नि, पीड़ित जनता की सहायता करना।
कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम, कृषि विविधीकरण, किसान परामर्श केन्द्र, खाद बनाने की जानकारी, फल, फूलों पर आधारित कृषि करवाना, कृषकों के लिए प्रमाणित बीजों का वितरण, अनाज भंडारण एवं कृषि सम्बन्धित समय-समय पर जानकारी देना।
14. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनायें स्वजलधारा, हैण्डपम्प लगवाना, शुष्क शौचालयों कृष्टियार्थप्रतिक्रियावाना; तालाब खुदवाना।
15. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनायें स्वजलधारा, हैण्डपम्प लगवाना, शुष्क शौचालयों कृष्टियार्थप्रतिक्रियावाना; तालाब खुदवाना।
16. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनायें स्वजलधारा, हैण्डपम्प लगवाना, शुष्क शौचालयों कृष्टियार्थप्रतिक्रियावाना; तालाब खुदवाना।

स्व.गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार चार्टर्ड
वरिष्ठ संसाधक
बारमूर-ओरेया

प्र.गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार चार्टर्ड
उपनिषद्क्रष्ण एवं रामायणीज लक्ष्मि विद्यालय
बारमूर-मुरादाबाद काशीपुर

17. मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेयरी आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
18. मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एवं समाज कल्याण बोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय की भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को संचालित करना एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
19. संस्था के कार्यक्षेत्र में पालनाघर, शोध संस्थान, गौशाला, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलना एवं उनका संचालन करना।
20. संस्था के विकास हेतु दान—अनुदान एवं विदेशी अनुदान प्राप्त करना।
21. संस्था के कार्यक्षेत्र में कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उन्हें संचालित करना।
22. राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देना एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।
23. नेहरू युवा केन्द्रों से कार्यक्रमों का संचालन करना।
24. मूक बधिर, नेत्रहीन, मानसिक मन्दित/विक्षिप्त विशेष आदि सभी दिव्यांग बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय/अनावासीय विद्यालय का संचालन करना।
25. मूक बधिर, नेत्रहीन, मानसिक मन्दित/विक्षिप्त विशेष आदि समस्त प्रकार के दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सेमिनार, कार्यशाला, प्रचार प्रसार आदि कार्यक्रम कराना।
26. समस्त प्रकार के दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना।
27. समय—समय पर दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग/सहायता वितरण कराने के साथ—साथ आवश्यकतानुसार शल्य चिकित्सा कराने का कार्यक्रम कराना। संस्था का उद्देश्य दिव्यांग एवं असहाय बच्चों के शैक्षिक व बौद्धिक विकास हेतु स्नातक, परास्तनाक, बी०ए०, डी०ए०, सिलाई, कम्प्यूटर कोर्स आदि, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त कर पठन—पाठन की व्यवस्था कराना। ग्रासन को बनुमति से मेडिकल, पेरा०मेडिकल, इन्जीनियरिंग कालेज छोलन संस्था के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित हेतु अनुदान प्राप्त कर सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर समस्त प्रकार के दिव्यांगों को सहायता प्राप्त कराना।
28. कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा वेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाना तथा जन सेवा प्रदाता के रूप में कार्यक्रमों को प्राप्त कर जन कल्याण हेतु चलाना।
29. सत्य—प्रतिलिपि.



28.

कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा वेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाना तथा जन सेवा प्रदाता के रूप में कार्यक्रमों को प्राप्त कर जन कल्याण हेतु चलाना।

अन्न राज्यपाल

दरिला सहायक
उपनिवेशक फर्म सोसाइटी लिमिटेड
कानूनी भौद्धि कानूनी

स्व. गुलाब सिंह प्रिया प्रताद संसदीय
बरसुपुर, ओरेपा

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता व पद व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती कमलेश कुमारी	पत्नी श्री विश्वनाथ सिंह	सत्तोश्वर, औरेया	अध्यक्ष	गृहकार्य
2.	श्री शिवकुमार	श्री जयचन्द्र सिंह	फरुखाबाद	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री विश्वनाथ सिंह	गुलाब सिंह	सत्तोश्वर, औरेया	प्रबन्धक / सचिव	व्यापार
4.	श्री महेन्द्र प्रताप	श्री जयचन्द्र सिंह	वनकिया, धीरपुर, फरुखाबाद	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्री मुन्ना सिंह ^{उर्फ़ रंजीत प्रताप सिंह}	श्री विश्वनाथ सिंह	बरमूपुर, औरेया	निरीक्षक	कृषि
6.	श्री तुकमान सिंह	श्री दौलात सिंह राजावत	अहेरीपुर, महेवा, इटावा	सदस्य	कृषि
7.	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री दौलत सिंह	अहेरीपुर, औरेया	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित हैं कि इस स्मृतिपत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन सं 21 तारीख 1860 अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक : 12.11.2017

महालेश्वर
महेन्द्र प्रताप
नरेन्द्र सिंह

श्रीमती कमलेश्वर
श्री विश्वनाथ सिंह
प्रबन्धकारिणी समिति
बरमूपुर-औरेया

प्रबन्धक
श्री गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर-औरेया

सत्य-प्रतिलिपि

विरिष्ट सहायक

नायोलय उपनिवेशक पार्सी सोसाइटीज लघा घिटा

2011/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 580428

यह जनरल स्टाम्प पेपर

जिला..... कानूनी संख्या..... 3526



सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

उपरिवक्ता कम्स सोसाइटी तथा विट्ट

कानूनी मण्डल कानपुर

5/15

:: नियमावली ::

1. संस्था का नाम : स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
2. संस्था का पता : बरमूर, ओरेंजा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तरोत्तर आवश्यकता पड़ने पर समूर्ण भारत वर्ष (आल इंडिया)
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

कोई भी महिला/ पुरुष जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो तथा उद्देश्यों में आस्था रखते हों वे इस संस्था के सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा बनाये जायेंगे।

(अ) संस्थापक सदस्य :



जो व्यक्ति संस्था को स्थापना के समय 10000/- रुपये प्रदान करेगा वह इस संस्था का संस्थापक सदस्य होगा। संस्थापक सदस्य अपने जीवनकाल में पृथक् नहीं किया जा सकेगा किन्तु संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर उसको पृथक् कर सकता है।

(ब) आजीवन सदस्य :

श्री बलकुमार
मुना सिंह
तुकमान सिंह
भट्ट-जु प्रहार

जो व्यक्ति इस संस्था को 5000/-रुपये (पांच हजार रुपए) एक बार में एक मुश्त दान स्वरूप अदा करेंगे, समय-समय पर सहयोग करेंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य प्रबन्धक/सचिव द्वारा बनाये जायेंगे।

गारी शर्मा
रमेश सिंह
Rama Kant

(स) सामान्य सदस्य :

जो व्यक्ति इस संस्था को 1000/-रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क के

रूप में अदा करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य प्रबन्धक/सचिव द्वारा

सत्य-प्रतिलिपि
बनाये जायेंगे।

विजयनाथ सिंह
प्रबन्धक

स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूर - ओरेंजा

सामान्य उपनिवेशक फर्स्ट सोसाइटीज तथा चिटना
कानूनी नियम औ नियम

१२/११८

(d) विशिष्ट सदस्य :

जो व्यक्ति समाजसेवी सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त निष्ठावान एवं प्रतिष्ठित होंगे वे संस्था के प्रबन्ध समिति द्वारा एक वर्ष की अवधि हेतु विशिष्ट सदस्य मनोनीत किये जायेंगे। मताधिकारी नहीं होंगे, सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे। स्वेच्छा से कोई धनराशि या चल अथवा अचल सम्पत्ति दे सकते हैं।

6. सदस्यता की समाप्ति : 1. मृत्यु, पागल, दिवालिया होने पर, 2. संस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर, 3. संस्था का निर्धारित सदस्यता शुल्क न देने पर, 4. संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, 5. अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर, 6. स्वयं त्याग-पत्र देने के पश्चात त्याग-पत्र स्वीकृत होने पर।

7. संस्था के अंग

- (अ) साधारण सभा
- (ब) प्रबन्ध कारिणी समिति
- (ग) साधारण सभा



1. गठन - साधारण सभा में से सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें - साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक होगी तथा विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय अध्यक्ष को अनुमोदन पर सचिव/प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायगी।

सूचना अवधि : सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशिष्ट बैठकों की सूचना सदस्यों तीन दिन पूर्व सूचना किसी भी माध्यम से दी जायेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

दरिष्ट साकार

स्व० गुनाह सिंह शिक्षा प्रसार समिति

प्रबन्धक

स्व० गुनाह सिंह शिक्षा प्रसार समिति

मूँगौड़ा

महेश कुमारी
अध्यक्ष

स्व० गुनाह सिंह शिक्षा प्रसार समिति

मूँगौड़ा - ओरेया

4. गण पूर्ति : गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थिति सदस्यों की होगी कारम के अभाव में बैठके स्थगित हो जायगी। पुनः बुलाई गयी बैठकों के लिये कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।
5. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि : संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्ध समिति तय करेगी।
6. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-
- (अ) संस्था की प्रबन्ध समिति का निवाचन करना।
 - (ब) संस्था के वार्षिक आय व्यय, बजट व वार्षिक कार्यक्रमों को रिपोर्ट को स्वीकृत करना।



संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन करना।

प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

(ब) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा में से बहुमत या गुप्त मतदान या चुनाव प्रक्रिया या हाथ उठाकर प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन होगा।

प्रबन्ध कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/सचिव एक कोषाध्यक्ष तथा तीन सदस्य इस प्रकार सात व्यक्तियों की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की आवश्यकता अनुसार नौ तक घटायी व बढ़ायी जा सकती है। प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित विद्यालय इकाइयों के पदाधिकारी होंगे। संस्था के अध्यक्ष प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव संस्था सदस्यों में से ही होगा। कार्यकारिणी के चुनाव में प्रबन्धक का पद आजीवन होगा इस पद का चुनाव नहीं कराया जायेगा। साथ ही उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीति करने का अधिकार होगा।

अमृलेश कुमारी
अध्यक्ष
प्रबन्धक
र. गुप्ता विद्यालय प्रसार समिति
गुप्ता विद्यालय प्रसार समिति

मिष्टान
मुनासिंह
तुकमानसिंह
महेन्द्र भट्टाचार्य
जारी शर्मा
नरेन्द्र सिंह
रमेशपाठी

सत्य-प्रतिलिपि

सरिष्ट राहगाँव

५००८० नवीन विद्यालय छोड़ दिया गया है।

- बैठकें :** प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो बार होगी तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को देकर किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबन्धक/सचिव द्वारा बुलाई जायगी।
- सूचना अवधि :** प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष की सूचना सदस्यों को तीन दिन पूर्व दी जायगी।
- गणपूर्ति :** गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थित सदस्यों को कारम के अभाव में तो बैठके स्थगित हो जायेगी। तो पुनः बुलाई गयी बैठकों के लिये कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।



रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई श्री आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति साधारण भाषा की बैठकों में शेष कार्यकायल के लिये कर ली जायगी।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना।
- संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट को तैयार करना।
- संस्था के विवादों को सुलझाना।
- संस्था के संचालन हेतु निगम उपनियम बनाना उपसमितियां बनान, योजनायें बनाना नीति निर्धारित करना विविध नामों से स्कूल खोलना एवं उनका संचालन करना।
- उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों नागरिकों, वित्तीय संस्थाओं संशाधनों बैंकों, कपार्ट, सूडा सेल अन्य सरकारी

स्व. ५०८
सत्य-प्रतिलिपि
रामकृष्ण
सुना सिंह
तुकमानसिंह
महेन्द्र पटाप
गोरी शंकर
पटेल सिंह
Rambhuj Patel

संस्थाओं संशाधनों बैंकों, कपार्ट, सूडा सेल अन्य सरकारी

प्रबन्धक
Pramanam Patel

अमलेश गारी
अध्यक्ष

वरिष्ठ सहायक
कामगार सार्वजनिक

स्व. ५०८
सत्य-प्रतिलिपि
रामकृष्ण सुना सिंह
तुकमानसिंह
महेन्द्र पटाप
गोरी शंकर
पटेल सिंह
Rambhuj Patel

स्व. ५०८
गुજरात सिंह शिक्षा प्रसार समिति

वरमुळे झोरेवा

स्व. ५०८
गुજरात सिंह शिक्षा प्रसार समिति
वरमुळे झोरेवा

विभागों से दान अनुदान, चन्दा ऋण चल व अचल सम्पत्ति
आदि प्राप्त करेगी।

6. अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हो।
7. कार्यकाल : प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष
का होगा।
6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -

(अ) अध्यक्ष :

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना, बैठकों को बुलाना एवं स्थगित
करना।
3. किसी विषय पर समान अंत आने पर अपना एक निर्णायिक मद देना।
4. संस्था की बैठकों में शान्त बनाये रखना बैठकों में प्रस्ताव रखने की अनुमति
देना।
5. संस्था की चल व अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण किराये पट्टे पर लेने-देने
सम्बन्धी प्रपत्रों के दस्तावेजों शर्तनामों बैनामों आदि पर सचिव/प्रबन्धक के
साथ हस्ताक्षर करना।

श्रीबद्रुम
मुनासद

बुद्धमानसद
महेन्द्र पृष्ठ १०
प्राची शिखर,
नरेन्द्र सद
Rama Bharti (स) प्रबन्धक/सचिव

कार्यों को करना

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना।
2. संस्था का प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।
3. संस्था की बैठकों की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करना, सुनाना, कार्यक्रमों का

सत्य-प्रतिपिण्डि
प्रचार-प्रसार करना।

4. संस्था की अदालती कार्यवाही करना।

दिल्ली सहायता

बृप्तिव्यापक फर्म दोस्तीज तथा
कानपुर शहर कालापुर

जम्हेश्वर कुमार
अध्यक्ष

स्व. गुराव सिंह शिक्षा प्रसार समिति
ब-३१२ - औरंगाबाद

स्व. गुराव सिंह शिक्षा प्रसार समिति
ब-३१२ - औरंगाबाद

5. संस्था के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों इकाइयों, केन्द्रों में, अध्यक्ष की सलाह से प्रधानाचार्या कर्मचारियों कार्यकर्ताओं कारीगरों, लिपिक, चपरासी, स्वीपर, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति निष्कासन, पदोन्नति पदोन्नति करना वेतन तय करना व भुगतान करना संस्था के समस्त स्टाप की चरित्र पंजिकाओं को रखना उनके कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्टि करना कारण बताओ नोटिस जारी करना पृथक या निलम्बित करना।


6. संस्था के चल व अचल समति की सुरक्षा करना हस्तांतरण, किराये,


कार्यालय पद्धते पर लेन-देन सम्बन्धित प्रपत्रों दस्तावेजों शर्तनामों आदि पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना।

7. संस्थां से सदस्यता शुल्क दान चंदा आदि प्रबन्धक/सचिव में से एक द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायेंगे।

8. संस्था की अदालती कार्यवाही करना।


10. अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हों प्रबन्ध समति द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायेंगे।


मुन्ना सिंह
वुकमानी संघ नियोजक ! - संभासे सम्बन्धित सभी औभिलेखों को (लिपिबद्ध करना)।
महेन्द्र पाण्डि
कोषाध्यक्ष :

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण या निरीक्षण करना।
2. संस्था के कोष सम्बन्धी अभिलेख तैयार करना।
3. संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना।
4. प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्य करना कार्यक्रमों के आयोजनों की व्यवस्था करना।
अध्यक्ष सचिव/प्रबन्धक के निर्देशानुसार कार्य करना।
5. अन्य वे सभी कार्य करना जो प्रबन्ध समिति द्वारा सौंपे गये हों।

सत्य-प्रतिलिपि

कृपया उपनिवेश फॉर्म सोलाइटीज लिमिटेड
मालवा प्रदेश राजनीति


प्रबन्धक
कृपनाथ
कृपनाथ
प्रबन्धक
कृपनाथ
प्रबन्धक

ज्ञानेश्वर मारी
धर्यक्ष
स्व. गुराव सिंह गिरा प्रसार समिति
बरपुर - ओडिशा

१. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया करना : संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से सोशायटी रजि० अधिनिमय की धारा 12 के अनुसार साधारण सभा की बैठकों में किये जायेगे।



८. संस्था को कोष एवं आय के श्रोत : संस्था का समस्त कोष किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका आहरण प्रबन्धक/सचिवका^{उद्घाटन} के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय कल्याण सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामेयोग बोर्ड, खादी आयोग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग निदेशालय, कपार्ट, डबाकरा, सूडा सेल, ट्राई सेम, डी.आर.डी.ए., नवार्ट, अवार्ट, सिडबी, महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संशाधन विकास मंत्रालय, देश विवरण अन्य सभी सरकारी विभागों से दान अनुदार चनदा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्ति करेगी। सदस्यों से सदस्यता शुल्क व चंदा आदि लेगी बैंकों से ऋण आदि प्राप्ति करेगी।

९. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण व निरीक्षण : संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण निरीक्षण समाप्ति पर किसी योग्य व्यक्ति द्वारा या चार्टड एकाउण्ट द्वारा कराया जायेगा।

१०. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तर दायित्व : संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही की संचालन पैरवी अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा की जायगी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी।

११. संस्था का उत्तर दायित्व एवं ऋण के पक्ष में जमानत हेतु : संस्था द्वारा लिये गये आर्थिक सहायता की अदायगी के उत्तरदायत्व प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य पर सामूहिक रूप से व्यक्तिगत होगा यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक की ऋणदाता के ऋण की पूर्ण अदायगी सत्य-प्रतिलिपि चाहे भले

मृद्दुप्राप्ति ही संस्था से पृथक ही क्यों न हो गया हो।  
बैंक अध्यक्ष
तारिख १५ अक्टूबर २०१८
इनां संघ
कानूनी संघ

ऋण के पक्ष में संस्था की निजी अचल सम्पत्ति का सम्यक बन्धक होगा यदि संस्था के पास निजी अचल सम्पत्ति नहीं है तो संस्था का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी अथवा सब मिलकर अपनी निजी अचल सम्पत्ति का ऋणदाता को निबंधन अधिनियम की धारा 5 ए के अनुसार बन्धक कर सकेंगे। ऋण आवेदन पत्रों को भरना ऋण प्राप्त करना आदि सम्बन्धित पत्रोत्तर प्रबंधक/सचिव व अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

12. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यकारिणी रजिस्टर
3. लेजर बुक/कैश बुक
4. एजेन्डा रजिस्टर
5. अन्य अभिलेख जो आवश्यक होंगे।

13. विघटन : संस्था के विघटन सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रजिस्टर अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



दिनांक: २८/११/०५

हस्ताक्षर

रामपाल
श्री वक्तुव्य
मुना सह
तुक्मान सिंह
महेन्द्र प्रताप
गोशला
प्रबन्धक

सत्यप्रतिलिपि

महेन्द्र सिंह

अध्यक्ष

अध्यक्ष

स्व० गुलाब सिंह समिति
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति,
बरमूपुर, औरेया

प्रबन्धक

(विश्वनाथ सिंह)

स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति,

बरमूपुर, औरेया

कोषाध्यक्ष

(महेन्द्र प्रताप सिंह)

स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति,

बरमूपुर, औरेया

वरिष्ठ सहायक

उपनिवासक फार्म सोसाइटी वथा फिल्म

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

GULAB SINGH SHIKSHA PRASAR SAMITI

01/12/2005

Premierate Account Number:

AAALS2421F

Signature